तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20.08.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक अपीलांट श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–8–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर के समक्ष दिनांक 6.3.2003 को प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि रोही सोनड़ी के खसरा नम्बर 813 तादादी 25 बीघा गत 40 वर्षों से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह भूमि जोहड़ पायतन के रूप में कभी भी उपयोग में नहीं आई है। सन् 1977 में जिला कलक्टर, गंगानगर द्वारा मौका निरीक्षण कर तहसीलदार जी की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.2.79 को किस्म बदल कर पड़ौसी भूमिधारियों के समान लगान कायम करने के आदेश दिये। जिसकी पालना आज तक नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा पुनः 1993 में निवेदन किया कि भूमि की किस्म परिवर्तन कर नियमानुसार अपीलांट को आवंटित की जावे। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुका है तथा यह भूमि वन विभाग के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसलिये अपीलांट भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। उपखंड अधिकारी नोहर ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 24–11–04 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 23–8–05 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय/आदेश दिनांक 23.8.2005 व 24.11.2004 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में राजस्व विभाग को तो अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करने से पाबन्द कर दिया और दूसरी ओर वन विभाग को कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए आदेश सारहीन एवं अविधिक है और अधिकारिता से परे एवं तात्विक अनियमितता होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालयों ने केवल मात्र राजस्व अभिलेख में विवादित कृषि भूमि वन विभाग के नाम अंकित है, के आधार पर अपीलाधीन आदेश/निर्णय पारित कर जिला कलक्टर के आदेश की भी अवहेलना की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा माना है तथा पूर्व में भी मौका रिपोर्ट एवं तहसील रिपोर्ट से भी कब्जा साबित था तब उपखण्ड अधिकारी/आवंटन अधिकारी ने जिला कलक्टर के आदेश को दरकिनार कर वन विभाग को दी जाने वाली भूमि की सूची जो तहसील द्वारा दी गई, को अनुमोदित किया है। विचारण न्यायालय को राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन जारी किये गए अतिक्रमण नियमन परिपत्र एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विवादित कृषि भूमि का नियमन अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत नियमन आवंटन आदेश पारित किया जाना था जिसके लिए जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर ने निर्देश भी दिया था मगर उस आदेश पर कार्यवाही न कर विधिक भूल की है एवं आदेश का निरादर किया है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जावे। 4. उप राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी वन विभाग की है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर मात्र अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विवादित आराजी पर कब्जे के आधार पर आवंटन किये जाने बाबत् उपखंड अधिकारी नोहर ने अपने आदेश दिनांक 24–11–04 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने अपीलाधीन निर्णय से आंशिक स्वीकार करने से व्यथित होकर हस्तगत् अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा सन् 1977–78 के राजस्व अभियान के दौरान आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर द्वारा तहसील की रिपोर्ट प्राप्त की। जिसमें विवादित भूमि जोहड़ पायतन नहीं मानी गई है तथा काबिल काश्त मानते हुए अपने आदेश दिनांक 13.2.79 से लगान कायम करने के आदेश दिये तथा अपीलांट को आवंटन की पात्रता की जाँच कर आवंटन करने का आदेश दिया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वर्तमान मे रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने तथा वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के	

आधार पर अपीलांट को भूमि पाने का अधिकारी नहीं मानते हुये उसका आवटंन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जिला कलक्टर के आदेश दिनाक 13.2. 79 की पालना में आदेश पारित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना मानते हुये न्यायिक दृष्टांत 1999 आर. आर. डी. पेज 329 डी. बी. के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रकरण 25.9.90 को दायर किया गया। तत्समय विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में अंकित थी एवं विवादित भूमि का आबादी भूमि में दर्ज होना मूल वाद के दायर होने के पश्चात् की घटना है। इसलिये भूमि की किस्म का बाद में परिवर्तन होना प्रकरण के स्थायित्व को कमजोर नहीं कर सकता है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन से भूमि वादग्रस्त पर अपीलान्ट का कब्जा पुराना साबित होता मानते हुये विचारण न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर के आदेश दि० 13.2.1979 के पारित होने के बाद उसकी पालना नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि के वन विभाग के नाम कब दर्ज हुई एवं उपनिवेशन क्षेत्र में कब आई तथा उसका इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है, आदेश में स्पष्ट नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये निर्णय में अंकित किया है कि वन विभाग को राज्य सरकार ने ऐसे कब्जेधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की शक्तियाँ दे रखी है, वह विभाग कार्यवाही करने में स्वतंत्र है तथा राजस्व विभाग को अपीलांट को बेदखल नहीं करने, फसल कुर्क नहीं करने, तैवान भी आरोपित नहीं करने के आदेश दिये तथा वन विभाग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाना चाहे तो कार्यवाही करने में स्वतन्त्र रहेंगे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये है तथा हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा अपने अपील प्रार्थनापत्र में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–8–05 एवं उपखंड अधिकारी नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–04 में विधि अथवा तथ्य सम्बंध ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

8. परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य